

पूर्व मध्य रेल

परिचालन संरक्षा चेतावनी सं०.०७/२०१९
(OPERATING SAFETY ALERT NO.07/2019)

विषय : थू (बिना रुके) पास करने वाली गाड़ियों में उत्पन्न असामान्य स्थिति को अवलोकित (Detect) करने में चूक के कारण घटित होने वाली दुर्घटना के संबंध में।

स्टेशनों एवं समपार फाटकों से गाड़ियां सुरक्षित रूप से थू (Through) पास कर रही हैं, इसे सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन मास्टर, केबिनमास्टर, स्टेशन कर्मचारी एवं गेटमैन उत्तरदाई हैं। गाड़ी चलते समय गाड़ी में असामान्य स्थिति, जैसे गर्म धूरा (Hot axle), रोलर बेयरिंग जाम होना (Seizure of roller bearing), चक्के का घिसटना (Skidding of wheel), किसी पूर्जे का झूलना (Hanging of part), गाड़ी विभाजन (Train Parting), गाड़ी में आग (Fire in train) इत्यादि, उत्पन्न हो सकती है।

ऐसे मामलों में उपर्युक्त कर्मचारियों की सतर्कता एवं तत्परता से जहां एक ओर दुर्घटना बचाई जा सकती है, वहीं दूसरी ओर इनके द्वारा बरती गई लापरवाही या चूक किसी दुर्घटना का कारण बन सकती है।

इसी संदर्भ की एक घटना दिनांक 05.12.2019 को पूर्व मध्य रेल के मुगलसराय मंडल में अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन (AUBR) से सोन नगर स्टेशन (SEB) के लिए चलाई गई गुड्स ट्रेन न० SMI-31373 रफीगंज स्टेशन (RFJ) और इस्माइलपुर स्टेशन (IMGE) के बीच कि०मी० 500/02 पर वैगन नंबर NR 31030342952 BCNA में गर्म धूरा (Hot axle) के कारण जर्नल के टूट जाने (Journal broken) के चलते हो गई। गया से ART और मुगलसराय से Crane आने के बाद लाइन साफ किया जा सका। घटना के परिणामस्वरूप डाउन जी०सी० पर गाड़ियों का परिचालन 12.10 से 19.40 बजे तक बाधित रहा। इस संबंध में सूत्रों से ज्ञात हुआ कि Hot axle में गाड़ी खड़ी होने से पूर्व किसी PWI द्वारा स्टेशन मास्टर को आगाह किया गया था जिसकी अनदेखा की गई।

अतः सभी मंडलों को निर्देश दिया जाता है कि थू पास करने वाली गाड़ियों में संभावित असामान्य स्थिति को ध्यानपूर्वक देखने हेतु सामान्य एवं सहायक नियम 4.42 एवं 16.04 में वर्णित कर्तव्यों से संबंधित कर्मचारियों को अवगत कराएं। इस प्रकार की दुर्घटना बचाने में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता एवं सजगता लाने के लिए निरीक्षकों एवं पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर काउंसिलिंग ड्राइव चलायें।



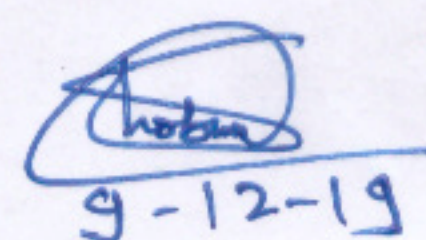
(सलिल कुमार झा)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

सं०:ई.सी.आर/परि.संरक्षा/चेतावनी/73/505 दिनांक 09.12.2019

प्रतिलिपि:

- (1) सचिव/महाप्रबंधक/पूमरे, हाजीपुर :- महाप्रबंधक महोदय के सूचनार्थ।
- (2) मुख्य संरक्षा अधिकारी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
- (3) मंडल रेल प्रबंधक- धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ।
- (4) वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक- धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
- (5) वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी- धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

15


9-12-19

16.00